केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

संख्या.सीबीएसई/समन्वय/पीआरएसी-अनुस्मारक/2023 दिनांक : 22.12.23

अनुस्मारक-1

सेवा में,

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के
सभी प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

विषय: प्रायोगिक परीक्षा/प्रोजेक्ट/आंतरिक आकलन कक्षा X और XII-2023-24

मैडम/सर,

यह परिपत्र क्रमांक सीबीएसई/सीबीएसई/ कौर्ड/ प्रेक्टिकल-एसओपी/2023 दिनांक 08.12.2023, के अनुसरण में है, सत्र 2023-24 हेतु कक्षा X और XII के लिए वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा/आंतरिक आकलन/प्रोजेक्ट जनवरी, 2024 के प्रथम सप्ताह से शुरू होने वाली है। अत: उक्त के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए, सभी हितधारकों/संबंधितों से निम्नलिखित निर्देशों के पालन का अनुरोध किया जाता है:

1. यह समय पर सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोगिक परीक्षा के संचालन की नियत तिथि से पूर्व, स्कूल में पर्याप्त संख्या में प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका प्राप्त हो जाएं।
2. स्कूलों द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं की सारणी, फार्मेट और किसी विशिष्ट अपेक्षाओं के बारे में अभिभावकों और छात्रों को सूचित किया जाना चाहिए।
3. यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रयोगशालाओं में आधारभूत संरचना, उपकरण और सामग्री आदि आवश्यक सामग्री का प्रबंधन किया गया है। इसकी पुन: पुष्टि की जाए कि प्रायोगिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए छात्रों हेतु प्रयोगशालाओं और सुविधाओं का संतोषजनक प्रबंधन किया गया है।
4. नियत तिथि और समय पर परीक्षा संचालन प्रक्रिया के निर्बाध और समयपूर्ण आयोजन हेतु परीक्षकों से समय पर संपर्क किया जाए।
5. दिव्यांग छात्रों की पहचान की जाए औरप्रायोगिक परीक्षाओं में उनकी सुगम प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं ताकिप्रायोगिक परीक्षा में वे आराम से भाग ले सकें।
6. छात्रों को नियत समयसारणी के अनुरूप ही प्रायोगिक परीक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए।
7. सभी प्रायोगिक परीक्षाओं/परियोजना/आंतरिक आकलन के संबंध में अंकों को प्रतिदिन यानी आकलन के संचालन की तिथि से अपलोड किया जाए।
8. अंक अपलोड करने के दौरान, स्कूल, आंतरिक परीक्षक और बाहरी परीक्षक (जैसा भी मामला हो) यह सुनिश्चित करेंगे कि सही अंक ही अपलोड किए गए हैं चूंकि एक बार अंक अपलोड होने के पश्चात किसी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं होगी। प्रायोगिक/प्रोजेक्ट/आंतरिक आकलन में दिए गए अधिकतम अंकों की जांच करें और फिर अंक प्रदान कर अपलोड किए जाएं।
9. कक्षा XII के लिए, स्थानीय स्तर पर प्रायोगिक परीक्षा/प्रोजेक्ट आकलन के संचालनहेतु बाहरी परीक्षक के वैकल्पिक प्रबंधन के लिए स्कूल अधिकृत नहीं है। बोर्ड द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षक के माध्यम से ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
10. प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और पूरा होने के बाद अंकों में बदलाव की अनुमति नहीं है। इसलिए अपलोड किए गए अंकों की

शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए दोनों परीक्षकों की सजगता जरूरी है।

11. यदि किसी मामले में यह पाया जाए कि स्कूलों द्वारा बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो बोर्ड को प्रायोगिक परीक्षा रद्द करने का अधिकार है।

12. बोर्ड द्वारा नियत तिथि के विस्तार के बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा।

13. यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो समय पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

कृपया सावधान/सजग रहें और भावी समस्याओं से बचें।

भवदीय,
हस्ता/-
(संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए वेब प्रशासन को अनुरोध के साथ प्रति